

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1540/2007/जालौर.

मैसर्स फतेह ग्रेनाइट्स लिमिटेड,
एफ-88 रिको इण्डस्ट्रियल एरिया, जालौर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, जालौर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा, उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 28/06/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 2/आरएसटी/जालौर/2006-07 में राजस्थान राज्य के स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे 'प्रवेश कर अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 23 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 18.05.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, जालौर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2002-03 के लिये प्रवेश कर अधिनियम की धारा 12 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 23.03.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा वर्ष 2002-03 में राज्य के बाहर से डायमण्ड कटर की खरीद की गयी थी, जिस पर राज्य सरकार की प्रवेश कर अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना में वर्णित वस्तु मार्बल कटिंग टूल, गैंगसॉ, डायमण्ड बिट्स पर प्रवेश कर की देयता थी, उस आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के राज्य के बाहर से की गई डायमण्ड बिट्स की खरीद पर प्रवेश कर आरोपित किया गया, जिसके विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा यह निर्णय किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आयातित माल डायमण्ड बिट्स है तथा यह पत्थर को काटने व तोड़ने के काम में लिया जाता है इस पर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.03.2003 की प्रविष्टि संख्या 27 में वर्णित डायमण्ड बिट्स पर प्रवेश कर दायित्व निर्धारित है, अतः व्यवहारी की अपील अस्वीकार की गई जिसके विरुद्ध व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।


लगातार.....2

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत तर्कों को दोहराते हुए कथन किया कि उनके द्वारा खरीद किये गये डायमण्ड बिट्स डायमण्ड कटर के रूप में मशीनरी का पार्ट होने से इस पर प्रवेश कर आरोपणीय नहीं है। उन्होंने कथन किया कि उनके द्वारा खरीद किये गये डायमण्ड कटर मशीनरी के पार्ट हैं जो अपीलार्थी की ग्रेनाइट की निर्माण इकाई में प्रयुक्त किये जाते हैं जो कि शत-प्रतिशत निर्यात का कार्य करती है। उन्होंने कथन किया कि प्रवेश कर अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 15.10.99 यथा संशोधित दिनांक 05.03.2003 में प्रविष्टि संख्या 27 निम्न प्रकार है :- "मार्बल कटिंग टूल्स, गैंगसाँ, डायमण्ड बिट्स"। इस प्रविष्टि अनुसार मार्बल कटिंग टूल्स के साथ में ही डायमण्ड बिट्स का अंकन होने से केवल मार्बल कार्य के लिये ही आने वाले डायमण्ड बिट्स पर प्रवेश कर अधिरोपित किया हुआ है, साथ ही पुनः व्यवहारी की इकाई द्वारा शत-प्रतिशत माल निर्यात होने से भी इस पर कर आरोपणीय नहीं होना बताया।

4. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि राज्य सरकार की मंशा ग्रेनाइट की मशीनरी एवं पार्ट्स पर प्रवेश कर लगाने की नहीं होने से इसकी प्रविष्टि पर 'मार्बल कटिंग टूल्स' का उल्लेख किया हुआ है एवं ग्रेनाइट का कोई उल्लेख नहीं है। इस तरह प्रविष्टि संख्या 27 केवलमात्र मार्बल कटिंग की मशीनरी एवं पार्ट्स के लिये है, न कि ग्रेनाइट की मशीनरी या पार्ट्स के लिये लागू योग्य है, क्योंकि मार्बल एवं ग्रेनाइट अलग-अलग मिनरल्स हैं, फलतः इस प्रविष्टि के अधीन आरोपित किया गया कर अविधिक होने से अपास्त योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रवेश कर का आरोपण दिनांक 23.03.2006 को किया गया है, अतः दिनांक 23.03.2006 के पूर्व ब्याज का आरोपण अविधिक है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स जे. के. इण्डस्ट्रीज के मामले का उल्लेख करते हुए ब्याज का आरोपण कर निर्धारण की दिनांक से ही किये जाने का भी अनुरोध किया।


5. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का पठन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड व विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

 लगातार.....3

7. इस प्रकरण में विवाद का बिन्दु केवलमात्र यह है कि अपीलार्थी के द्वारा खरीद किये गये डायमण्ड बिट्स जो कि ग्रेनाइट कटर के रूप में काम में लिये जाते हैं, उन पर प्रवेश कर अधिनियम की अधिसूचना दिनांक 15.10.99 एवं 05.03.2003 के अधीन अधिसूचित प्रविष्टि संख्या 27 के तहत प्रवेश कर योग्य है अथवा नहीं। अपीलार्थी की ओर से जो मुख्य विधिक तर्क दिया गया है वह यह है कि प्रविष्टि संख्या 27 में दी गई शब्दावली में "मार्बल कटिंग टूल्स, गैंगसाँ, डायमण्ड बिट्स" अंकित होने से यह प्रविष्टि केवलमात्र मार्बल की इकाईयों के लिये ही प्रभावी होती है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये यह तर्क विधि के अनुकूल नहीं है क्योंकि कर सम्बन्धी अधिसूचनाओं में प्रत्येक वस्तु के नाम का उल्लेख होने के अनुसार उस पर करदेयता सुनिश्चित होती है। उक्त प्रविष्टि संख्या 27 में डायमण्ड बिट्स को एक विशिष्ट वस्तु के रूप में रखते हुए इस पर 8 प्रतिशत से कर दर निर्धारित की हुई है। इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा डायमण्ड बिट्स की खरीदी की गई है एवं डायमण्ड बिट्स का उपयोग भिन्न-भिन्न पत्थरों को मशीनों से तोड़ने के काम में लिया जाता है। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति द्वारा डायमण्ड बिट्स की खरीद राज्य के बाहर से की जाने पर उस पर प्रवेश कर देय होगा। यह उल्लेख करना उचित होगा कि प्रवेश कर अधिनियम की धारा 4 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रवेश कर अधिनियम में अधिसूचित वस्तु को स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराने पर उस पर कर देयता निर्धारित की हुई है। प्रवेश कर योग्य वस्तुओं में प्रवेश कर उसी बिन्दु पर आरोपणीय होता है जब माल की खरीद अन्य राज्य से अथवा राज्य के अन्य स्थानीय क्षेत्र से विशिष्ट परिस्थितियों में प्रवेश किया जाता है। चूंकि प्रवेश कर अधिनियम में जारी अधिसूचना की प्रविष्टि संख्या 27 में मार्बल बिट्स पर प्रवेश कर निर्धारित है, ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति या इकाई या किसी ट्रेडर द्वारा माल की खरीदी की जाती है तब उस पर प्रवेश कर देय होगा एवं इस परीक्षण की आवश्यकता नहीं रहेगी कि वह माल किसी व्यक्ति या किसी इकाई द्वारा किस तरह उपयोग में लिया जाता है क्योंकि प्रवेश कर का दायित्व माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश होते ही उत्पन्न हो जाता है। अतः अपीलार्थी द्वारा इस बिन्दु पर दिये गये तर्क सारहीन होने से कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों में कोई त्रुटि नहीं की गई है अतः इसकी पुष्टि की जाती है।


8. जहां तक कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रवेश कर समय पर जमा नहीं होने से ब्याज आरोपित किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2005) 141 एस.टी.सी. 12 ई.आई.डी. पैरी

 लमातार.....4

(इण्डिया) लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर चैन्नई एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2003) 06 टैक्स अपडेट 317 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स रस्तोगी स्टील फर्नीचर एवं (2011) 31 टैक्स अपडेट 303 (राज.) सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा बनाम ममता सर्जिकल कौंटन इण्डस्ट्रीज निर्णय दिनांक 03.11.2011 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कोई भी कर अदेय रहने पर उस पर ब्याज की देयता ऑटोमेटिक है। चूंकि प्रवेश कर अधिनियम में राज्य के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धाराओं को भी लागू किये जाने के प्रावधान प्रवेश कर अधिनियम की धारा 45 के तहत किये हुए हैं। ऐसी स्थिति में व्यवहारी पर प्रवेश कर की देयता होने एवं उक्त कर अदेय होने के आधार पर ब्याज का आरोपण विधिसम्मत रूप से किया गया है। अतः इस बिन्दु पर भी कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है।

9. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाकर, अपीलीय आदेश दिनांक 18.5.2007 व कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.03.2006 की पुष्टि की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य